न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 68/2019 **दायरा दिनांक : 08.05.2019**

उनवान

1– दुर्गाशंकर, पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी बारां पुजारी मन्दिर कल्याणराय जी बिराजमान बारां, तहसील बारां जिला बारां

2– प्रमोद कुमार, उम्र 53 वर्ष पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बारां पुजारी मन्दिर कल्याणराय जी बिराजमान बारां, तहसील बारां जिला बारां

3– हेमन्त कुमार, उम्र 47 वर्ष पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बारां पुजारी मन्दिर कल्याणराय जी बिराजमान बारां, तहसील बारां जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां .... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

अपील संख्या 84/2019 **दायरा दिनांक : 27.06.2019**

उनवान

1– संदीप चौबे पुत्र श्री अनोखीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी पीपली चौक सर्राफा बाजारा बारां जिला बारां

2– श्री अनोखीलाल पुत्र श्री नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, निवासी पीपली चौक सर्राफा बाजारा बारां जिला बारां

3– राजकुमारी पत्नी श्री अनोखीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी पीपली चौक सर्राफा बाजारा बारां जिला बारां

4– दिलीप कुमार पुत्र श्री अनोखीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी पीपली चौक सर्राफा बाजारा बारां जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1– दुर्गाशंकर, पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चौमुखा बाजार श्रीजी के मन्दिर के पास बारां

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

2– प्रमोद कुमार, पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चौमुखा बाजार श्रीजी के मन्दिर के पास बारां

3– हेमन्त कुमार, पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चौमुखा बाजार श्रीजी के मन्दिर के पास बारां

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बालमुकुन्द, श्री मदन गोपाल एवं श्री संदीप चौबे अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बी एल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 81/2018 निर्णय दिनांक 11.02.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 68/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया । जिसका जवाब आने के बाद दिनांक 11.02.2019 को निर्णय पारित किया गया । जिसमें वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा मानते हुए यह आदेश दिया कि प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम बैगना की 8.04 हैक्टर आराजी पर अपीलांट प्रार्थीगण 1000/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष से दावा निर्णय तक केस सिक्यूरिटी जमा कराने पर ही अपना कब्जा काश्त रख सकेगें । अपीलांट प्रार्थीगण प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य उपरोक्त केस सिक्यूरिटी दावा निर्णय तक तहसील में जमा करायेंगे । यदि अपीलांट प्रार्थीगण उक्त राशि तहसील में जमा कराने में असमर्थ रहते हैं तो

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

तहसीलदार बारां उक्त आराजी को अपने कब्जे में लेकर मुनाफा काश्त पर काश्त व्यवस्था सम्पादित करेंगे । जबकि अपीलांट प्रार्थीगण ने अपने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह सहायता चाही थी कि अपीलांट प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं तथा अप्रार्थी रेस्पोडेंट तहसीलदार उपरोक्त भूमियों की नीलामी बोली लगाकर मुनाफा काश्त पर जुपाने की धमकी देते हैं । इसलिए उनको ता फैसला दावा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत न स्वयं करें, न अपने प्रतिनिधियों से करावें तथा अपीलांट प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक वादग्रस्त आराजी को काश्त करने देवें । न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलांट प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा माना किन्तु रेस्पोडेंट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के बजाय केस सिक्यूरिटी 1000/– रूपये प्रति बीघा कायम कर दी तथा अपीलांट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार है । इस निर्णय से अपीलांट प्रार्थीगण व्यथित है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि विवादित आराजी मन्दिर कल्याणराम जी बिरामान बारां की है जिसके पुजारी राजकुमार पुत्र बिहारी लाल थे । देवस्थान विभाग ने अपीलांट को पुजारी माना हुआ है एवं अपीलांट मंदिर की सेवा पूजा करते हैं तथा तेलभोग की व्यवस्था करते हैं । राज्य सरकार के समय समय पर मन्दिर की भूमि पर उनके पुजारियों के नाम दर्ज करने के आदेश आये हैं तथा सं0 2016 से राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमियों पर अपीलांट के वंशजों का नाम दर्ज है तथा वंशानुगत अपीलांट सेवा पूजा कर रहे हैं व भूमियां काश्त कर रहे हैं। अपीलांट मन्दिर के पुजारी है तथा उन्होंने मूल वाद में यह प्रार्थना की हुई है कि जमाबंदी के कालम नं. 5 में वादीगण को खातेदार कृषक दर्ज किया जावे विकल्प रूप में जमाबंदी के कालम नं. 4 में मन्दिर कल्याणराज जी के साथ पुजारी के रूप में अपीलांट का नाम दर्ज किया जावे। इस प्रकार अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में था। फिर भी अपीलांट का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करके अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2019 अपास्त की जावे ।

अपील संख्या 84/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी ग्राम बेगना खसरा नम्बर 287/1234, 369, 370, 371, 384, 385, 386, व 390 कुल 8.04 हेक्टर भूमि पर रेस्पोडेंट प्रार्थीगण के पक्ष में 1000/–

(महेश जोशी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

रूपया प्रति बीघा प्रतिवर्ष से केश सिक्यूरिटी दावे के निर्णय तक जमा कराने पर मुनाफा पर काश्त करने की व्यवस्था के आदेश दिये हैं जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । प्रार्थी रेस्पोडेंट का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही उनके पुजारी बतौर उक्त आराजी उनके दखल एवं कब्जे में है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर निर्विवाद काबिज काश्त है तथा वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी विरासत से प्रार्थी/अपीलांट के हक हिस्से की है । राजस्व रेकार्ड से उक्त भूमि के खातेदार रामकुंवार वल्द बिहारी लाल थे तथा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 403, 404, 406, 406 कुल 3 किता रकबा 50 बीघा 5 बिस्वा था जो परिवर्तित होकर वर्तमान आरजी खसरा नम्बर 287/1234, 369, 370, 371, 384, 385, 386, 390 के रूप में दर्ज हुआ है । वादग्रस्त आराजी पर माफी मन्दिर श्री कल्याणराय जी काश्त खातेदार मगनलाल वल्द नन्दकिशोर, मुस0 गोपी बाई बेवा नन्दकिशोर का नाम रामकुंवार के स्थान पर दर्ज हुआ है । रामकुंवार के वारिसान मगनलाल एवं गोपी बाई है । दौराने बन्दोबस्त वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत पुजारी खातेदार मगनलाल व गोपी बाई का नाम हटा दिया गया है जबकि विवादित आराजी पर गोपीबाई व मगन लाल जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण/अपीलांट काबिज काश्त है । रेस्पोडेंट/प्रार्थी दुर्गाशंकर, प्रमोद व हेमन्त से उक्त भूमि का कोई सम्बन्ध नहीं है । फर्जीतौर पर रामकुंवार के वारिस बनकर दावा पेश किया तथा गलत तथ्य बताकर गलत रूप से अपने पक्ष में आदेश करवा लिया । रामकुंवार ने अपने जीवनकाल में पंजीकृत दानपत्र दिनांक 17.03.1970 प्रमाणित करवाते हुए उक्त भूमि अपनी पुत्री गोपीबाई व नवासा मदनलाल को दान कर दी व कब्जा सौप दिया । गोपी बाई की मृत्यु के बाद विवादग्रस्त आराजी के वारिस मगनलाल हुए तथा मगनलाल ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक वसीयतनामा दिनांक 12.06.1989 को सम्पादित करवाते हुए उक्त भूमि एवं अन्य चल अचल सम्पत्ति के निर्विवाद वारिस अनोखीलाल उर्फ मन्नूलाल पुत्र नन्दकिशोर, राजकुमारी पत्नी अनोखीलाल, दिलीप कुमार पुत्र अनोखीलाल व संदीप कुमार पुत्र अनोखीलाल अपीलांट को अपना वारिस घोषित किया । उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट ने राज0 सरकार जर्ये जिला कलेक्टर, बारां दिनांक 06.05.2019 को धारा 80 जाब्ता दीवानी प्रेषित कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2019 अपास्त की जावे ।

([illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील संख्या 84/2019 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.05.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले अपील संख्या 84/2019 प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एवं अपील संख्या 68/2019 प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने 1000/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष की दर से जो केस सिक्यूरिटी जारी की है वह अधिक है उसे 400/– रूपये प्रतिबीघा प्रति वर्ष की जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने मूर्ति मन्दिर को पार्टी नहीं बनाया है । रेस्पोडेंट ने केस सिक्यूरिटी अपने नाम करवा जी जबकि हम प्रभावित पक्षकार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें पार्टी नहीं बनाया केवल तहसीलदार को पार्टी बनाया । रामकुंवार के वारिसान मगनलाल नवासा एवं गोपी बाई पुत्री है । मगन लाल ने वसीयत की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को वारिस बनाया । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि मूल दावे में पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया उसकी निगरानी में संदीप चौबे रेवेन्यु बोर्ड अजमेर में चला गया । अधीनस्थ न्यायालय का दावा रेवेन्यु कोर्ट में चला गया । वाद में पार्टी बनना रेवेन्यु बोर्ड तय करेगा । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील संख्या 84/2019 न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी वर्तमान में मन्दिर कल्याणराय जी बिराजमान बारां की खातेदारी में दर्ज होना माना है। विवादित आराजी में साबिक रकबा 3 किता की 50 बीघा 5 बिस्वा था। ये भूमि सम्वत 2016–2019 की जमाबंदी में माफी मन्दिर कल्याणराय जी बिराजमान बारां पुजारी रामकुंवार पुत्र बिहारी लाल के नाम दर्ज थी जो रिज्यूम होकर सम्वत 2024–27 की जमाबंदी में रामकुंवार पुत्र बिहारी लाल की खातेदारी में दर्ज हुई । रामकुंवार के वारिस प्रस्तुत सजरे अनुसार अपीलांट हैं। अपीलांट के पिता मोहन लाल को मन्दिर कल्याणराय जी का पुजारी माना गया है। न्यायालय अपर एवं

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन भू-प्रबन्ध अपील प्राधिकारी

जिला सेशन न्यायाधीश बारां के दीवानी अपील संख्या 34/99 के निर्णय दिनांक 12.08.1999 में अपीलांट के पिता मोहन लाल को बिना कानूनी प्रकिया के बेदखल न करने एवं कब्जे में दखलन्दाजी न करने का आदेश दिया था। अपीलांट मोहनलाल को मन्दिर कल्याणराय की सेवा–पूजा, तेल–भोग का सुखाधिकारी माना है तथा उक्त निर्णय अनुसार अपीलांट का आराजी पर कब्जा होना माना गया तथा अप्रार्थी रेस्पोडेंट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के उक्त कथनों का अंतिम रूप से निर्धारण वाद में साक्ष्य, सबूतों से होना माना है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट प्रार्थीगण यदि वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बनाये रखते हैं तो वे वाद के निर्णय तक 1000/– रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष से केस सिक्यूरिटी तहसील में जमा कराने पर ही रख सकेगें। अपीलांट प्रार्थीगण प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य उक्त केस सिक्यूरिटी दावा निर्णय तक तहसील में जमा करवायेगे। यदि प्रार्थीगण उक्त राशि तहसील में जमा कराने में असमर्थ रहते हैं तो तहसीलदार बारां उक्त आराजी को अपने कब्जे में लेकर मुनाफा काश्त पर काश्त व्यवस्था सम्पादित करवायेगें। अपीलांट प्रकरण में केस सिक्यूरिटी को कम कराना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । मूल वाद में अपीलांट द्वारा पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है जिसकी निगरानी अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में की गई है ऐसी स्थिति में यह अपील संख्या 84/2019 चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील संख्या 68/2019 एवं अपील संख्या 84/2019 खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा